खण्ड-12, अंक-1, वर्ष-2024, मु0प्र0 18-23
D.O.I.: https://doi.org/10.22445/avsp.v12i1.4
SJIF (2024) : 8.287

Evaluation of Security Challenges on Unregulated India-Nepal Borders

Rajnikant Pandey and Praveen Chaudhary
Department of Political Science, Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University
Gorakhpur–273 009, U.P., India
praveenchoudhary445@gmail.com

Received: 07-08-2024, Accepted: 11-11-2024

Abstract- This research paper focuses on assessing security challenges along the unregulated India-Nepal borders, analyzing the complexities and security-related issues between India and Nepal. The border stretches approximately 1,751 kilometers and is influenced by natural barriers and cultural connections. The study explores various security challenges such as illegal trade, human trafficking, and terrorism that arise due to these irregular borders. This research paper also examines how social, economic, and political factors affect these security issues. Despite the deep cultural ties and political cooperation between India and Nepal, there are serious concerns regarding border security. Finally, the study offers suggestions on how improved collaboration, technological measures, and effective policies can address these challenges. This research represents a significant step toward new perspectives and solutions in the field of border security.

Key words- Security, Cooperation, Border, International, India, Nepal, Political, Economic

अनियमित भारत–नेपाल सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियों का मूल्यांकन

रजनीकान्त पाण्डेय एवं प्रवीन चौधरी
राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273 009, उ0प्र0, भारत
praveenchoudhary445@gmail.com

सार– यह शोध पत्र अनियमित भारत–नेपाल सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियों के मूल्यांकन पर केंद्रित है, जिसमें भारत और नेपाल के बीच की सीमाओं की जटिलताओं और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। भारत और नेपाल के बीच की सीमा लगभग 1,751 किलोमीटर लंबी है, जो प्राकृतिक बाधाओं और सांस्कृतिक संपर्कों से प्रभावित है। यह अध्ययन विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का पता लगाता है, जैसे अवैध व्यापार, मानव तस्करी, और आतंकवाद, जो इन अनियमित सीमाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। शोध में यह भी परीक्षण किया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक किस प्रकार इन सुरक्षा समस्याओं को प्रभावित करते हैं। भारत–नेपाल के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और राजनीतिक सहयोग के बावजूद, सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ हैं। अंत में, इस अध्ययन में सुझाव दिए गए हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच बेहतर सहयोग, तकनीकी उपायों और प्रभावी नीतियों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। यह शोध सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में नए दृष्टिकोणों और समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बीज शब्द– सुरक्षा, सहयोग, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, भारत, नेपाल, राजनीतिक, आर्थिक

1. **परिचय**– भारतीय उपमहाद्वीप के दो लोकतांत्रिक देश भारत और नेपाल इस क्षेत्र में एक विशिष्ट रूप से खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। यह खुली सीमा 1950 की भारत–नेपाल शांति और मित्रता संधि के आधार पर संचालित है। इस संधि में कई अन्य पारस्परिक समझौते भी शामिल हैं जैसे कि रोजगार के मामले में दोनों देशों के नागरिकों के लिए समान अवसर, भारत और नेपाल के नागरिकों को रहने के लिए, संपत्ति रखने, एक–दूसरे की भूमि पर व्यापार और वाणिज्य में शामिल होने तक की अनुमति देते है। विभिन्न कारणों से, इस खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उपयोग प्रायः अवैध गतिविधियों और अवैध व्यापार के लिए भी किया जाता है।[1] भारतीय पक्ष में, मुख्य रूप से लगभग 1,751 किलोमीटर की बिना बाड़ वाली सीमा की रक्षा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के साथ–साथ भारत की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल और भारत ने सदियों से अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं को

साझा किया है। यद्यपि, हाल के दशकों में, सीमा पार अपराध दोनों देशों के लिए एक खतरा रहा हैं। भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जो नेपाल के क्षेत्र से कई गुना अधिक है, दक्षिण एशिया के भू–रणनीतिक परिदृश्य में बड़ी हिस्सेदारी है। अपने आकार, जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, भारत की दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसी स्थितियों में, खुली और बड़े पैमाने पर अनियमित सीमाओं पर विभिन्न जोखिमों के कारण भारत में कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरे में डालते है। नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त 17 सीमा पार अपराधों में भारतीय अधिकारियों के लिए प्रमुख चिंताओं में मानव तस्करी (महिलाओं, श्रमिकों और बच्चों समेत), नकली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन), और आतंकवाद शामिल हैं।[1]

2. **मानव तस्करी**– संयुक्त राष्ट्र के 'मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय' ने स्पष्ट रूप से मानव तस्करी को बलपूर्वक रणनीति, धोखेबाज साधनों और अन्य नापाक तरीकों के माध्यम से व्यक्तियों को लालच देने, आश्रय देने, घृणित प्रथा के रूप में चित्रित किया है, यह सब उन्हें शोषण के अधीन करने के भयावह इरादे से किया जाता है। नेपाल, जहां इसकी 42% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, अक्सर तस्करों द्वारा उन्हे सुनहरे अवसरों की भूमि के रूप में देखा जाता है। रोजगार के अवसरों की कमी, विशेष रूप से अप्रैल 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद, महिलाओं और पुरुषों की तस्करी नेपाल के लिए प्रमुख असुरक्षा के रूप में उभरा है।[2] इस दावे की पुष्टि इस तथ्य से की जा सकती है, कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में सभी मानव तस्करी के मामलों में 64% ने अपनी कार्यप्रणाली के रूप में नौकरी के झूठे वादे किए थे, जबकि नकली विवाह के मामले केवल 1.6% थे। प्रति वर्ष लगभग 150–200 बिलियन डॉलर के मुनाफे के साथ, मानव तस्करी, जिसे व्यक्तियों की तस्करी (टीआईपी) के रूप में भी जाना जाता है, आधुनिक दुनिया में सबसे समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों में से एक है, जिसका कारण अपराध का कम लागत वाला उच्च लाभ मॉडल है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, जहाँ वार्षिक लाभ का अनुमान लगभग 50 अरब डॉलर है, नेपाल मानव तस्करी की उच्चतम दर का गवाह है। नेपाल का खुला सीमा वाला मित्र होने के नाते भारत मुख्य रूप से जबरन श्रम और विवाह, वेश्यावृत्ति, शोषण आदि के लिए ऐसे तस्करी किए गए व्यक्तियों का सबसे बड़ा लैंडिंग ग्राउंड है। भारत में, और लगभग समान उद्देश्यों के मध्य पूर्वी देशों में पारगमन के लिए उद्देश्य लगभग समान है। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि कैसे बड़ी संख्या में लड़कियों और महिलाओं को मध्य पूर्व के देशों में मुख्य रूप से यौन शोषण और जबरन विवाह के लिए तस्करी की जाती है। हालांकि कोई विशिष्ट संख्या नहीं है, विभिन्न अनुमानों से संकेत मिलता है कि लगभग 10,000 से 15,000 लड़कियों और महिलाओं की भारत में अवैध रूप से तस्करी की जाती है, मानव तस्करी की कुल संख्या 20,000 से 25,000 के बीच कहीं भी हो सकती है। यह अनुमान लगाया जाता है कि ऐसी कई लाख तस्करी की गई लड़कियां वर्तमान में भारत के विभिन्न वेश्यालयों और रेड लाइट क्षेत्रों में हैं, जो मुख्य रूप से यौन व्यवसाय में शामिल हैं।[3]

इसके अतिरिक्त पुरुषों और लड़को की तस्करी भी होती है, वे मुख्य रूप से भारत में और भारत के रास्ते खाड़ी देशों में जबरन श्रम में लगे हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल तस्करी से बेचे गए लोगों में से लगभग 22% पुरुष थे, जबकि कुल तस्करी से बेचे गए लोगों में से 24. 7% लड़के 18 वर्ष से कम उम्र के थे। नेपाली पुलिस का दावा है कि समय के साथ मानव तस्करी कम हो रही है, यद्यपि, तथ्य इस दावे का समर्थन नहीं करते हैं। नेपाल में लापता बच्चों की दर 2010–11 में 41.2 से बढ़कर 2016–17 में 74.0 हो गई है। 2018 में, एसएसबी ने 2013 के बाद, नेपाल से भारत में तस्करी की जाने वाली लड़कियों की संख्या में 500% की भारी वृद्धि दर्ज की गई।[4] खुली सीमाओ के कारण, भारतीय और नेपाली दोनों अधिकारियों के लिए एक वास्तविक यात्री और मानव तस्करी के शिकार के बीच अंतर करना बेहद मुश्किल हो जाता है। चूंकि सीमा बहुत अधिक विनियमित नहीं है, भले ही पीड़ितों के लापता होने की सूचना दी जाए, उनका पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। ये मौजूदा परिस्थितियाँ भारत के लिए कई खतरे और चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। यह भारत में अपर्याप्त पुलिस बल के लिए एक चुनौतीपूर्ण कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करता है।

3. **नकली भारतीय मुद्रा नोट**– भारतीय नकली मुद्रा नोट, दुनिया की शीर्ष दस नकली मुद्राओं में शामिल हैं। एफ.आई.सी.एन. (नकली भारतीय मुद्रा) भारतीय और नेपाली सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। यह ध्यान देने योग्य है कि नेपाल के माध्यम से इन नकली नोटों की तस्करी का वास्तविक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। यह अपराध रैकेट खाड़ी देशों, पाकिस्तान, भारत और नेपाल में रहने वाले अपराधियों के साथ निकट सहयोग में काम करता है। भारत में नकली नोटों की आपूर्ति करने वाले कोरियरों के लिए नेपाल की खुली सीमाएँ एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करती हैं। ये नकली नोट मुख्य रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देता हैं। 26/11 के मुंबई हमलों के उदाहरण से आतंकवाद और जाली नोटों के बीच संबंध को आसानी से समझा जा सकता है। पाकिस्तानी मूल के यूएस नागरिक डेविड कोलमैन हेडली (दाउद सैयद गिलानी) को ISI के मेजर इकबाल ने मुंबई में अपने मिशन के दौरान नकली भारतीय मुद्रा में खर्च करने के लिए पर्याप्त धन दिया। यह आतंकवादियों और उनके वित्तपोषकों और समर्थकों को वित्त पोषण, हवाला और भ्रष्टाचार से मदद

करता है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन. आई. ए.)–'उच्च गुणवत्ता वाले एफ. आई. सी. एन. मामलों की जांच करने के लिए अधिकृत एजेंसी, और अन्य क्षेत्रीय अधिकारियों ने प्रायः इन गतिविधियों के लिए पाकिस्तान (आई. एस. आई. के माध्यम से) को मुख्य स्रोत के रूप में दोषी ठहराया है। यह एफसीआईएन से संबंधित मामलों में एजेंसी द्वारा दायर विभिन्न आरोप पत्रों में भी साबित हुआ है, जहां एक या एक से अधिक पाकिस्तानी नागरिक हमेशा तस्करों के स्रोत के रूप में पाए जाते हैं। एफ. आई. सी. एन. का इसी तरह का उपयोग अक्सर आतंक और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए देखा गया है।[5] भारत ने अधिकतर पाकिस्तान को भारत के विरूद्ध आर्थिक युद्ध के माध्यम के रूप में नकली नोट छापने वाले एक संप्रभु देश के रूप में दोषी ठहराया है। आम तौर पर, इन नोटों का अंतिम उपयोगकर्ता तीसरे पक्ष होते हैं, जिन्हें उनके नकली या अवैध होने के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इस तरह के उपयोग से अपराधियों को उनके वास्तविक व्यय को कम करने में मदद मिलती है, और इसलिए भारत को नुकसान पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। ये एफ. आई. सी. एन., जब अर्थव्यवस्था में शामिल होते हैं, तो अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाले कारक के रूप में कार्य करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति, मुद्रा के अवमूल्यन आदि जैसी समस्याएं होती हैं।

4. **आतंकवाद**– पहले विचार में, अधिकांश भारतीय नेपाल को किसी भी तरह से आतंकवाद से नहीं जोड़ पाएंगे, और शायद यह धारणा है कि भारत के लिए आतंकवादी खतरा केवल पाकिस्तान से है। यह सच है, कि पाकिस्तान द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद भारत के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा है, यद्यपि, हमारे लिए यह जानना अनिवार्य होगा कि नेपाल पाकिस्तान के आतंकवादियों और भारतीय धरती के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करता है। अमेरिकी विदेश विभाग की एक वर्तमान रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे भारत और नेपाल के बीच की अनियममित सीमा का उपयोग पाकिस्तान स्थित विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा भारत के खिलाफ हमले करने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों और इसकी आईएसआई द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नेपाली धरती के उत्साहपूर्ण उपयोग को भारतीय एजेंसियों द्वारा हाल ही में की गई गिरफ्तारियों और चेतावनियों की सूची को देखकर समझाया जा सकता है। एक और उदाहरण बिहार के गृह सचिव द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया पत्र हो सकता है, जिसमें बिहार के गृह सचिव को खाड़ी देशों और पाकिस्तान से नेपाल में आए लगभग 200 कोविड–19 पॉजिटिव भारतीयों की संभावित घुसपैठ के बारे में अवगत कराया गया था, जो सीमा पार करने के लिए तैयार थे। एसएसबी के खुफिया इनपुट में एफआईसीएन (नकली भारतीय मुद्रा नोट) और हथियारों की तस्करी में शामिल एक नेपाली नागरिक जलिम मुखिया को इस काम का प्रभारी बनाया गया था। भारतीय एजेंसियों द्वारा समय पर प्रतिक्रियाओं के कारण वह सफल नहीं हो सके,[6] कदाचित कभी–कभी चूक भी हो जाती है।

5. **इस्लामिक स्टेट–खुरासान (के)**– आईएसआईएस–के आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया) की एशियाई शाखा है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया से संबंधित है। मई 2019 में, आईएसआईएस–के ने अपने 'पाकिस्तान प्रांत' और 'भारत प्रांत' की घोषणा की, जिसका अर्थ है कि उनका लक्ष्य इन दोनों राज्यों पर नियंत्रण हासिल करना है। आईएसआईएस समर्थक प्रकोष्ठ (अल–किटा) ने भारतीयों के लिए 'सव्त अल हिंद' (वॉयस ऑफ इंडिया) नाम से एक पत्रिका जारी की, जिसका पहला अंक फरवरी 2020 में जारी किया गया था।[7] ये घटनाएं भारत में इस्लामिक स्टेट के आतंकवाद के बढ़ते खतरे को दर्शाती हैं। नेपाल और बांग्लादेश, आईएसआईएस–के के लड़ाकों (जैसा कि वे खुद को पहचानते हैं) के लिए भारत में प्रवेश करने या अपने–अपने ठिकानों से भारत में हमलों का समर्थन करने के दो आसान मार्ग हैं। भारतीयों के लिए नेपाल की आसान पहुंच और इसके विपरीत, आतंकवादी रसद, हथियारों और गोला–बारूद और प्रशिक्षण के लिए खराब खुफिया और सुरक्षा उपकरणों के साथ देश का उपयोग करते हैं।

6. **अन्य अपराध**– अपराधियों द्वारा नेपाल को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में उपयोग करना किसी से छुपा नहीं है। मोस्ट वांटेड और छोटे स्तर के अपराधी दशकों से नेपाल का सहारा ले रहे हैं। यह एक सामान्य तथ्य है कि किसी भी अपराधी के लापता होने पर पहला संदिग्ध नेपाल होता है, मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे क्षेत्रों से। पिछले कुछ वर्षों में, यहां प्रतिबंधित और गैर–प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी के लिए भी इसी तरह के मामलों की रिपोर्ट मिली है[8]। अधिकतर मामलों में, जब अपराधी नेपाल पहुंच जाते हैं, तो इसे वे विश्व के किसी भी हिस्से में जाने के लिए एक पारगमन स्थल के रूप में उपयोग करते हैं। यहां तक कि अगर अपराधी नेपाल में रह रहे हैं, तो भारतीय एजेंसियों के लिए उन्हें पकड़ना शारीरिक और राजनयिक दोनों कारणों से बेहद कठिन हो जाता है।

7. समाधान व सुझाव

7.1 **द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना**– भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए नियमित संवाद और बैठकों का

आयोजन आवश्यक है। इस प्रक्रिया में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच चर्चा की जाती है, जिससे सीमा सुरक्षा और प्रबंधन के मुद्दों पर सामूहिक रणनीतियाँ विकसित की जा सकें। इसके अंतर्गत संयुक्त कार्यबलों का गठन भी किया जा सकता है, जो सीमा पार अपराधों के खिलाफ एक साथ काम करेंगे। इस सहयोग से न केवल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आपसी विश्वास और रिश्तों में मजबूती भी आएगी। साझा लक्ष्यों की दिशा में काम करना, जैसे कि मानव तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम, दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा।

7.2 **प्रौद्योगिकी का उपयोग**– सीमाओं की सुरक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग अब एक आवश्यक पहलू बन गया है। यह न केवल अवैध गतिविधियों की पहचान में मदद करता है, बल्कि सुरक्षा बलों की कार्यक्षमता को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, स्मार्ट बाड़ें आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होती हैं, जिनमें सेंसर और कैमरे शामिल होते हैं। ये बाड़ें सीमा पार गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी करते हैं, और यदि कोई अनधिकृत प्रवेश करता है, तो स्वचालित अलार्म सक्रिय कर देते हैं। इस प्रकार, सुरक्षा बल तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही, ड्रोन तकनीक का उपयोग भी बढ़ रहा है। ड्रोन कठिन भूभागों पर निगरानी रखने में सक्षम होते हैं और दूरस्थ क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने में मदद करते हैं। ड्रोन से प्राप्त लाइव वीडियो फीड सुरक्षा बलों को त्वरित निर्णय लेने की अनुमति देता है, जिससे उनकी प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार होता है। सुरक्षा कैमरे और निगरानी प्रणाली भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे सीमाओं पर 24/7 निगरानी प्रदान करते हैं और स्वचालित रूप से संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाकर अलर्ट भेजते हैं। इसके अलावा, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सीमाओं पर गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है, जिससे संभावित खतरों की पहचान करना आसान हो जाता है। सिमुलेशन तकनीक का प्रयोग विभिन्न सुरक्षा परिदृश्यों की जांच करने के लिए किया जाता है, जिससे सुरक्षा रणनीतियों में सुधार किया जा सकता है। मोबाइल एप्लिकेशन भी सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इन एप्लिकेशनों के माध्यम से, सीमा पर तैनात कर्मियों को वास्तविक समय में जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करना और सूचना साझा करना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। जीपीएस ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग भी महत्वपूर्ण है, जो सीमा पर तैनात वाहनों और कर्मियों की निगरानी करती है। यह तकनीक अपराधियों के आंदोलनों का पता लगाने में भी सहायता कर सकती है। अंत में, सुरक्षित संचार उपकरणों का उपयोग सीमा पर तैनात कर्मियों के बीच त्वरित और प्रभावी संचार सुनिश्चित करता है। इससे प्रतिक्रिया समय कम होता है और तात्कालिकता में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। इन सभी तकनीकी समाधानों के माध्यम से, सीमाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है, जिससे अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी।

7.3 **समुदाय की भागीदारी**– सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब स्थानीय लोग सीमा सुरक्षा प्रयासों में शामिल होते हैं, तो वे न केवल अपने क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान देते हैं, बल्कि अवैध गतिविधियों की पहचान और रोकथाम में भी सहायक होते हैं। स्थानीय समुदायों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, जिसमें उन्हें अवैध गतिविधियों, जैसे मानव तस्करी और नशे की तस्करी के खतरों के बारे में जानकारी दी जाए। इससे वे इन गतिविधियों की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा, समुदायों को सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे सूचना साझा करने का एक नेटवर्क बन सके। यदि स्थानीय लोग संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी देते हैं, तो यह अवैध गतिविधियों को रोकने में अत्यंत प्रभावी हो सकता है। इस प्रकार, समुदाय की भागीदारी न केवल सुरक्षा में सुधार करती है, बल्कि सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करती है, जिससे सीमा क्षेत्रों में एक समग्र सुरक्षा वातावरण तैयार होता है।

7.4 **कानून प्रवर्तन को मजबूत करना**– सीमा सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। इसके अंतर्गत विभिन्न उपायों को अपनाया जा सकता है, जैसे कि सुरक्षा बलों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, ताकि वे नई तकनीकों और उपकरणों का सही ढंग से उपयोग कर सकें। सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक संचार उपकरण और तकनीकी संसाधन प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है, जिससे वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित प्रतिक्रिया दे सकें। इसके अलावा, सीमाओं पर तैनात बलों की संख्या बढ़ाने से निगरानी और गश्त की क्षमता में सुधार होगा। कानून प्रवर्तन के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा विकसित करना भी आवश्यक है, जिसमें स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएँ शामिल हों। इससे सुरक्षा बलों को अपने कार्यों में कानून के दायरे में रहने में मदद मिलेगी और उन्हें कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त होगा। अंत में, सीमाओं पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए एक समर्पित जांच और कार्रवाई प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। इससे न केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि समुदाय में भी एक संदेश जाएगा कि कानून का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, कानून प्रवर्तन को मजबूत करके सीमा सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है[10]।

7.5 **क्रॉस–बॉर्डर इंटेलिजेंस शेयरिंग**– सीमा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए क्रॉस–बॉर्डर इंटेलिजेंस शेयरिंग एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत और नेपाल के बीच सूचनाओं का साझा करना न केवल अवैध गतिविधियों की पहचान में मदद करता है, बल्कि इसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों को भी सक्षम बनाता है। इस प्रक्रिया में, दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियाँ एक दूसरे के साथ संदिग्ध गतिविधियों, अपराधियों की पहचान, और संभावित खतरों के बारे में जानकारी साझा करती हैं। इससे दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है और समय पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, साझा मंचों का निर्माण किया जा सकता है, जहाँ सुरक्षा बल नियमित रूप से मीटिंग्स और संवाद आयोजित कर सकते हैं। इससे आपसी विश्वास बढ़ेगा और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी। इंटेलिजेंस शेयरिंग के माध्यम से, न केवल सीमा पार अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि यह दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को भी मजबूत करेगा। इस प्रकार, एक संगठित और प्रभावी इंटेलिजेंस नेटवर्क स्थापित करने से सीमा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार किया जा सकता है।

7.6 **नीति और कानूनी ढांचे**– सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक सुसंगत और प्रभावी नीति और कानूनी ढांचे का निर्माण आवश्यक है। यह ढांचा सुरक्षा बलों को स्पष्ट दिशा और अधिकार प्रदान करता है, जिससे वे अपने कार्यों को कानून के अनुसार निस्तारण कर सकें। इसमें विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कि अवैध गतिविधियों की रोकथाम, मानव तस्करी, और नशे की तस्करी से संबंधित कानूनों को सख्त करना[9]। नीति में सामुदायिक भागीदारी को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रयासों में सम्मिलित किया जा सके और उनकी जानकारी का लाभ उठाया जा सके। कानूनी ढांचे को अद्यतन करना भी महत्वपूर्ण है, जिससे यह वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर सके। इसके लिए नियमित रूप से कानूनों की समीक्षा और आवश्यकतानुसार संशोधन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय समझौतों को विकसित किया जा सकता है, जो दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच समन्वय को सुनिश्चित करें। इस प्रकार, एक मजबूत नीति और कानूनी ढांचे के माध्यम से सीमा सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे अवैध गतिविधियों की रोकथाम में सहायता मिलेगी और सुरक्षा बलों को आवश्यक अधिकार और संसाधन प्राप्त होंगे।

7.7 **जन जागरूकता अभियान**– जन जागरूकता अभियान सीमा सुरक्षा को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अभियानों का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को अवैध गतिविधियों, जैसे मानव तस्करी, नशे की तस्करी और अन्य अपराधों के खतरों के बारे में शिक्षित करना है। इस प्रकार के अभियानों के माध्यम से, समुदायों को जानकारी दी जाती है कि वे किस प्रकार से संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं और किस प्रकार सुरक्षा बलों को सूचित कर सकते हैं। स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षित करना और उन्हें इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, जन जागरूकता अभियान मीडिया, सोशल मीडिया, और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से चलाए जा सकते हैं। इनमें कार्यशालाएँ, सेमिनार और नुक्कड़ नाटक शामिल हो सकते हैं, जो लोगों को इस विषय पर जागरूक करने के लिए आकर्षक तरीकों का उपयोग करते हैं। इन अभियानों का एक और लाभ यह है कि वे समुदायों के बीच सहयोग और एकजुटता को बढ़ावा देते हैं, जिससे लोग एक–दूसरे के प्रति जिम्मेदारी महसूस करते हैं। इस प्रकार, जन जागरूकता अभियान न केवल सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करते हैं, बल्कि सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करते हैं, जिससे एक सुरक्षित और समृद्ध सीमा क्षेत्र का निर्माण होता है। मानव तस्करी और तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के खतरों के बारे में जनता को शिक्षित करने का अभियान भी सार्थक कदम होगा।

8. **निष्कर्ष**– भारत नेपाल एक मजबूत मित्रता और सहयोगी संबंध वाले पड़ोसी देश है। यह रोटी–बेटी के मजबूत रिश्तों का परिणाम है कि प्रतिवर्ष दोनों देशों के नागरिकों के बीच विवाह का भी संबंध रहा है। भारत और नेपाल की एक खुली सीमा है, और दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध हैं। हालांकि, मौजूदा खुली और अनियमित सीमाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए नए विकल्पों की खोज भी आवश्यक है। यह विकल्प सीमा सुरक्षा को अधिक कुशल बनाने, मजबूत सीमा जांच बिंदुओं की स्थापना, और अपराधियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए तंत्रों के संयोजन के रूप में हो सकते हैं।

नेपाल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी भूमि का उपयोग कभी भी भारत के विरूद्ध गतिविधियों के लिए आधार के रूप में न किया जाए, क्योंकि ऐसे ठिकाने अंततः नेपाल के लिए भी खतरा बन सकते हैं। चीन की गतिविधियाँ नेपाल मे सक्रिय हो रही है क्योंकि चीन नेपाल मे लगातार अपने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाता जा रहा है और नेपाल को सहायता भी दे रहा है और उसकी कोशिश यह भी है कि नेपाल में अपनी उपस्थिति को बढ़ाया जाए। उसके इस कार्यविधि से भारत नेपाल की खुली सीमाओ का सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है[11]। चूंकि भारत के पाँच राज्यों की सीमाएँ नेपाल के सीमाओं से मिलती हैं, इसलिए भारतीय सीमाओ की सुरक्षा का और भी खतरा और भी बढ़ जाता

है। भारत के प्रमुख राज्यों की सीमाओ से सटे मधेशी नागरिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। भारत सरकार से अपेक्षित है कि उनके बीच अपनी नीतियों के द्वारा अपनी पकड़ को मजबूत करे। भारत नेपाल के साथ लगातार शैक्षिक, सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। भारत सरकार को अधिक से अधिक विश्वविद्यालय में नेपाली विद्यार्थियों को विशेष पैकेज देकर प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि भविष्य में भारत के पक्ष में संदेश वाहक का कार्य करेंगे और चीन के प्रति भारतीय पक्ष को मजबूती के साथ रखेंगे।

भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पड़ोसी देश की जमीन का उपयोग करते समय सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी गतिविधि उसे नुकसान न पहुँचाए। अंत में, बढ़ते सुरक्षा खतरों के संदर्भ में, भारत को अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने और समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि दोनों देशों के बीच सहयोग और सुरक्षा में सुधार हो सके। एक सुरक्षित और संगठित सीमा न केवल दोनों देशों के लिए अपितु क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण होगी।

References

1 .IANS. (2013, August 30). Nepal identifies 17 crimes committed on its border with India. News18. https://www.news18.com/news/india/nepal-identifies-17-crimes-committed-on-its-border-with-india-635591.html

2. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). What is Human Trafficking? United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved on February 16, 2024.

3. Border Security Force, Ministry of Home Affairs, Government of India. (2020). Human Trafficking: A Vision Document, Border Security Force. https://ssb.nic.in/WriteReadData/LINKS/Final%20Vision%20Docs8740ab3e-2462-42ea 9a64-adf9cedca5e8.pdf.

4. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). What is Human Trafficking? United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved on February 16, 2024.

5. hashikumar, V. (2008). Indian Defence Review. Nepal: Export of Fake Currency, 23(4), 19-30. https://books.google.co.in/books?id=CjIYCRvbaKoC&lpg=PP1

6. https://www.telegraphindia.com/india/ssb-alerts-all-posts-along-nepal-after -covid-19-intel-on-arms-ficn-smuggler/cid/1763797

7. Alchin, J. (2019). Multiple Rivers, One Ocean: Bangladesh and the Islamist Militancy Challenge. Volume: Chapter 5: An Inactive Neighborhood. Penguin Random House.

8. Statesman News Service. (2019, January 1). Indo-Nepal Border: A Hotbed of Artifact Smuggling, Forces on Alert. The Statesman. https://www.thestatesman.com/cities/siliguri/india-nepal-border-emerging-hotbed-artefactsmuggling-1502721173.html

9. Das, S. (2017, May 15). Nepal Border Turns Hub of Drug Smuggling. LiveMint. https://www.livemint.com/Politics/5YqUfdhkyQ7si8foXTZtIK/Nepal-border-turns-hub-ofdrug-smuggling.html.

10. Baral, L. R., & Payakurel, P. (2015). Nepal-India Open Borders: Problems and Prospects. India: Vij Books Pvt. Ltd.

11. Raj, M. (2020). New Front of China on India-Nepal Border. India: Summit Enterprises.